

कार्यालय वनमंडलाधिकारी, वनमण्डल सा0 रीवा (म.प्र.)

जयन्ती कुंज, झिरिया, रीवा

E-Mail- dfot.rwa@mp.gov.in , Phone- 07662- 251335

क्रमांक/मा.चि./ 4405

रीवा, दिनांक 19-05-22

प्रति,

मेसर्स बिरला कारपोरेशन लिमिटेड
इण्डस्ट्रीज हाउस, द्वितीय तल 159,
चर्चगेट मुम्बई, महाराष्ट्र

विषय :- वनमण्डल दक्षिण शहडोल के परिक्षेत्र बुढ़ार के वन कक्ष आर.एफ. 827 & आर.एफ 828 के रकवा 142.075 हे. वनभूमि तथा विभिन्न खसरो की रकवा 9.020 हे. राजस्व वनभूमि कुल 151.095 हे. वनभूमि में बिक्रम कोल ब्लॉक ओपन कास्ट/भूमिगत कोयला उत्खनन तथा अन्य उपरिसतह उपयोग के व्यपवर्तन का मेसर्स बिरला कारपोरेशन लिमिटेड का प्रस्ताव ऑन लाईन प्रस्ताव क्र. FP/MP/MIN/49537/2020.

- संदर्भ:- 1. भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भोपाल का पत्र क्रमांक 8-34/2021-FC दिनांक 21.04.2022
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) सतपुड़ा भवन भोपाल का पत्र क्रमांक/एफ-1/529/2021/10-11/1553 दिनांक 02.05.2022

—0—

प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (भू-प्रबंध) सतपुड़ा भवन म0प्र0 भोपाल के संदर्भित पत्र एवं भारत सरकार के पत्र दिनांक 21.04.2022 से प्रस्तावित वनमण्डल दक्षिण शहडोल के परिक्षेत्र बुढ़ार के वन कक्ष आर.एफ. 827 & आर.एफ 828 के रकवा 142.075 हे. वनभूमि तथा विभिन्न खसरो की रकवा 9.020 हे. राजस्व वनभूमि कुल 151.095 हे. वनभूमि में बिक्रम कोल ब्लॉक ओपन कास्ट/भूमिगत कोयला उत्खनन तथा अन्य उपरिसतह उपयोग के व्यपवर्तन का मेसर्स बिरला कारपोरेशन लिमिटेड को उपयोग पर देने बावत् प्रकरण में प्रथम चरण (सैद्धांतिक) सशर्त स्वीकृति जारी की गई है (छायाप्रति संलग्न है)। स्वीकृति पत्र में उल्लेखित शर्तों के अनुसार जिन शर्तों में राशि प्राप्त किया जाना है, आवेदक संस्थान को ऑनलाईन कैम्पा मद में राशि जमा करने हेतु मांग पत्र जारी कर फारेस्ट परिवेश की वेबसाइट पर अपलोड करने के निर्देश है। उक्त राशि फारेस्ट परिवेश की वेबसाइट पर अपलोड करने के उपरान्त नोडल अधिकारी द्वारा ओके करने के उपरान्त राशि जमा कर सकेंगे तथा शर्त अधिरोपित समस्त शर्तों का पालन प्रतिवेदन एवं वचन पत्र प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया है।

प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (भू-प्रबंध) सतपुड़ा भवन म0प्र0 भोपाल के पत्र दिनांक 02.05.2022 से निर्देशित किया गया है कि आवेदक संस्था से सभी प्रकार के भुगतान ई-पोर्टल के माध्यम से कराये जायें। इस सम्बन्ध में विस्तृत प्रक्रिया मंत्रालय की वेबसाइट www.forestclearance.nic.in के बायीं ओर के कॉलम में Support के बिन्दु Epayment process of Stage-II clearance में देखी जा सकती है। आवेदक संस्था से जब भी किसी प्रकार की भुगतान की मांग की जाती है तो आवेदक संस्था को बैंक खातों के नम्बर न देकर उन्हें यह निर्देश देवें कि यह भुगतान MOEF की वेबसाइट www.forestclearance.nic.in पर करने के निर्देश हैं। इस हेतु आवेदक संस्था अपने यूजर आईडी से मंत्रालय की वेबसाइट पर जाकर मांग पत्र को अपलोड करना होगा तथा मांग पत्र के अनुसार राशियों को मदवार भरना होगा। आवेदक संस्था द्वारा आवश्यक प्रविष्टियां करने पर तथा Submit करने पर यह स्वमेव नोडल अधिकारी के पास आ जायेगा। नोडल अधिकारी द्वारा ओके/वेरीफाई करने पर स्वमेव चालान जनरेट हो जायेगा जिस

आधार पर आवेदक संस्था सीधा भुगतान कर सकेगी। यदि आवेदक पूर्व से पंजीकृत नहीं है तो वह मंत्रालय की वेबसाईट पर अपने आप को पंजीकृत भी करा सकते हैं।

प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (भू-प्रबंध) सतपुड़ा भवन म0प्र0 भोपाल के संदर्भित पत्र से भारत सरकार के पत्र दिनांक 21.04.2022 से 22.376 हेक्टेयर वनभूमि मेसर्स बिरला कारपोरेशन लिमिटेड इण्डस्ट्रीज हाउस, द्वितीय तल 159, चर्चगेट मुम्बई, महाराष्ट्र को उपयोग पर देने बावत् प्रकरण में प्रथम चरण (सैद्धांतिक) सशर्त जारी स्वीकृति के अनुसार व्यपवर्तित वनभूमि की क्षतिपूर्ति वनीकरण योजना की राशि जमा करने बावत् मॉग पत्र जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। राशि का विवरण निम्नानुसार है।

प्रपत्र-1

क.	मद का नाम	क्षेत्रफल हे० में	कैम्पा मद में जमा की जाने योग्य राशि
1	क्षतिपूरक वनीकरण	22.376	2,23,37,100 /-
	कुल योग :-	22.376	2,23,37,100 /-

उपरोक्त विवरण अनुसार क्षतिपूर्ति वनीकरण हेतु राशि रुपये 2,23,37,100/- (दो करोड़ तेईस लाख सैतिस हजार एक सौ रुपये) ऊपर दी गई वेबसाईट के माध्यम से जमा कराकर यू0टी0आर0 की प्रति इस कार्यालय में प्रस्तुत करें। साथ ही पर्यवेक्षण शुल्क की राशि रुपये 25,63,410/- (पच्चीस लाख तिरसठ हजार चार सौ दस रुपये मात्र) राज्य के राजस्व मद 0406 वानिकी एवं वन्यजीव (01) वानिकी (800) अन्य प्राप्तियां (0229) में एम.पी. ट्रेजरी पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन जमा करें तथा चालान की मूल प्रति इस कार्यालय में जमा करें।

(चन्द्रशेखर सिंह भा.व.से.)

वनमण्डलाधिकारी

वनमण्डल रीवा (म.प्र.)

पृष्ठा.क्र./मा.चि./4406

रीवा, दिनांक/19-05-22

प्रतिलिपि :-

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) सतपुड़ा भवन भोपाल का पत्र क्रमांक/एफ-1/529/2021/10-11/1553 दिनांक 02.05.2022 के तारतम्य में सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित।
2. मुख्य वन संरक्षक रीवा वृत्त रीवा की ओर सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित।

(चन्द्रशेखर सिंह भा.व.से.)

वनमण्डलाधिकारी

वनमण्डल रीवा (म.प्र.)

कार्यालय वनमण्डल अधिकारी दक्षिण वनमण्डल शहडोल जिला-शहडोल 484001 (मध्यप्रदेश)

फोन (कार्या-240304) (निवास-241443) (फैक्स-240304) ई-मेल- dfotsshahd@mp.gov.in

क्रमांक/मा.चि./2022/ 3924

शहडोल, दिनांक : 01/6 /2022

प्रति,

मे० बिरला कार्पोरेशन
लिमि० सतना, कैम्प बुढ़ार
जिला-शहडोल (म०प्र०)

विषय :- वनमण्डल दक्षिण शहडोल के परिक्षेत्र बुढ़ार के वन कक्ष आर.एफ. 827 एवं आर.एफ. 828 के रकवा 142.075 हे० वनभूमि तथा विभिन्न खसरो की रकवा 9.020 हे० राजस्व वनभूमि कुल 151.095 हे० वनभूमि में विक्रम कोल ब्लॉक ओपन काष्ट/भूमिगत कोयला उत्खनन तथा अन्य उपरिसतह उपयोग के व्यपवर्तन का-मेसर्स बिरला कार्पोरेशन लिमिटेड का प्रस्ताव ऑनलाईन प्रकरण क्रमांक-FP/MP/MIN/49537/2020

संदर्भ :- 1-भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली के पत्र क्रमांक/8-34 /2021-एफ.सी. दिनांक 21.04.2022
2-अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) मध्यप्रदेश भोपाल का पत्र क्रमांक/F-1/829/2021/10-11/1871 दिनांक 26.05.2022
3-आपका पत्र क्रमांक/13/22 दिनांक 23.05.2022

-☆☆☆-

निवेदन है कि विषयांकित संदर्भित पत्र क्रमांक-01 से भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा प्रकरण में प्रथम चरण सैद्धांतिक स्वीकृति सर्शत प्रदान की गई है।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा जारी निर्देशानुसार भारत सरकार के शर्त क्रमांक A(i) के अनुपालन में वनमण्डल दक्षिण शहडोल के अन्तर्गत कुल 55.811 हे० गैर वनभूमि की क्षतिपूर्ति वनीकरण योजना 11 वर्षीय तैयार की गई योजना की कुल राशि 23523610.00 एवं एन.पी.व्ही. की राशि ओपन माईन्स रकवा 114.372 हे० की भारत सरकार द्वारा निर्धारित दर 1292850.00 से 147865840.00 एवं मध्यप्रदेश शासन वन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ-5/16/2000 /10-03 दिनांक 12.09.2008 से जारी निर्देशों के तहत भूमिगत कोल माईन्स में 50 प्रतिशत छूट के उपरान्त रकवा 36.723 हे० राशि 23738665.00 कुल राशि 171604505.00 का मांग पत्र भेजा गया था।



//2//

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा पत्र क्रमांक/F-1/829/2021/10-11/1871 दिनांक 26.05.2022 से लेख किया गया है कि मध्यप्रदेश में ईको क्लास-III : Tropical Dry Deciduous Forest पाया जाता है प्रस्तावित वनक्षेत्र के ईको क्लास का पुनः परीक्षण/गणना कर एन.पी.व्ही. की राशि का निर्धारण कर आवेदक संस्थान को मांग पत्र जारी करने के निर्देश दिये गये हैं।

अतः जारी निर्देशानुसार ईको क्लास-III के डेन्स अनुसार भारत सरकार के शर्त क्रमांक A(ii) के अनुपालन में नेट प्रजेन्ट वैल्यू की राशि कुल प्रभावित वनभूमि 151.095 हे० में से ओपन काष्ट माईन्स का रकवा 114.372 हे०, दर 1228590.00 से 140516296.00 एवं मध्यप्रदेश शासन वन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ-5/16/2000 /10-03 दिनांक 12.09.2008 से जारी निर्देशानुसार भूमिगत कोल माईन्स में 50 प्रतिशत छूट के उपरान्त रकवा 36.723 हे० राशि 22558755.00 कुल राशि 163075051.00 (रूपये सोलह करोड तीस लाख पचहत्तर हजार इक्यावन) एवं शर्त क्रमांक A(i) के अनुपालन में वनमण्डल दक्षिण शहडोल के अन्तर्गत कुल 55.811 हे० गैर वनभूमि की क्षतिपूर्ति वनीकरण योजना 11 वर्षीय की कुल राशि 23523610.00 की तैयार की गई जिसमें वृक्षारोपण राशि 21385100.00 (रूपये दो करोड तेरह लाख पचासी हजार एक सौ मात्र) ई-पोर्टल के माध्यम से जमा करें एवं पर्वक्षण शुल्क की राशि 2138510.00 मध्यप्रदेश कोषालय एवं डी.डी. के माध्यम से जमा करें जो वनमण्डलाधिकारी दक्षिण वनमण्डल शहडोल के नाम देय हो राशि जमा उपरान्त जमा पर्ची एवं भारत सरकार द्वारा अधिरोपित समस्त शर्तों का मान्य करने बावत् वचन पत्र एवं पालन प्रतिवेदन टेबूलर फार्म में 5 प्रतियों में इस कार्यालय में उपलब्ध करावें।

पृ० क्रमांक/मा.चि./2022/

शहडोल, दिनांक : /2022

प्रतिलिपि:-

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) मध्यप्रदेश भोपाल का पत्र क्रमांक/F-1/829/2021/10-11/1871 दिनांक 26.05.2022 के पालन में सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित।
2. मुख्य वन संरक्षक वन वृत्त शहडोल की ओर सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित।

वनमण्डल अधिकारी
दक्षिण वनमण्डल शहडोल
01/06/2022

वनमण्डल अधिकारी
दक्षिण वनमण्डल शहडोल
01/06/2022